3–भवानीशंकर पुत्र मोहनलाल जाति खटीक निवासी मोडक स्टेशन तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा (राज0)
4–राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार रामगंजमंडी
5– रामरतन पुत्र रामनारायण जाति रेगर निवासी मोडत्रक तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित अधिवक्तागण

1. श्री हरवीरसिंह :– वकील प्रार्थीगण
2. श्री मुन्नालाल शुक्ला :– वकील अप्रार्थी 1 से 4
3. श्री बंशीलाल धाकड़ :– वकील अप्रार्थी 5

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 17/04/2018

प्रार्थीगण द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ,

अधिकारी
ाजमंडी

Scanned by CamScanner

1 यह कि ग्राम मोडक पटवार हल्का मोडक में खातेदार रामरतन वल्द रामकल्याण जाति रेगर के खाते की भूमि खसरा नं मिन 654 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी तृतीय भूमि दर्ज रेकार्ड है। विवरण मुताबिक जमाबन्दी 2054 से 2057 (सलंग्न) दर्ज किया गया है।

2 यह कि उक्त आराजी औद्योगिक भूमि के समीप होने से खातेदार द्वारा भूमि को औद्योगिक संपरिवर्तन जर्ये नामान्तकरण 1437 दिनांक 4/10/04 को 654 की 3 बीघा एवं नामांतरण 1612 दिनांक 15/10/08 को 6 बीघा राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया।

3 यह कि उक्त आराजी मे से खसरा नं 654 की 6 बीघा प्रार्थीया नं 1 के खाते जर्ये इंतकाल नं 1684 दर्ज हुइ तथा खसरा नं 654 की 3 बीघा में से 1 1/2 बीघा पूर्वी तरफ सुरेश प्रार्थी नं 2 तथा 1 1/2 बीघा प्रार्थीया नं 3 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। विवरण मुताबिक नकल जमाबंदी सं 2054 से 57 दर्ज किया गया , जो सलंग्न हैं।

4 यह कि प्रार्थीगण द्वारा मुताबिक औद्योगिक सम्परिवर्तन आदेश भूमि पर फैक्ट्री स्थापित कर कब्जा चला आ रहा है।

5 यह कि तहसील रामगंजमंडी में बन्दोबस्त कार्य होने से मद नं 1 में वर्णित आराजी के वर्तमान खसरा नं परिवर्तित होकर निम्न प्रकार हैः—

6 यह कि ग्राम मोडक की खसरा नं 757 रकबा 0.57 हैक्ट बारानी तृतीय अप्रार्थीगण 2 लगायत 4 के नाम अंकित है। मुताबिक नकल सम्वत 2067—2070 तथा खसरा नं 758 रकबा 0.70 हैक्ट बारानी तृतीय अप्रार्थीया नं 1 के नाम अंकित हैं।

7 यह कि वर्तमान खसरा नं 760 में से 0.96 हैक्ट प्रार्थीया नं 1 के नाम सम्परिवर्तन औद्योगिक हुई जिसमें से 0.32 हैक्टयर जर्ये दान नामान्तरण नं 414 दिनांक 6/8/2012 से प्रार्थी नं 4 के बख्शी की गई है। जिसका इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

8 यह कि वर्तमान खसरा नं 757 की रकबा 0.52 हैक्ट व खसरा नं 758 की रकबा 0.70 हैक्ट के साबिक नं 654 मिन की रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा व खसरा नं 654 मिन की रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा रहे है। नकल मिलान क्षैत्रफल सलंग्न आवेदन की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

Scanned by CamScanner

9 यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण स्वयं के खाते एवं कब्जे की साबिक खसरा नं 654 मिन पर काबिज चले आ रहे है। मौके पर पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नही है।

10 यह कि बन्दोबस्त होने से नक्शा ट्रेस में स्थिति तब्दील हो गइ तथा मुताबिक पटवार हल्का प्रार्थीगण की फैक्ट्रीया वर्तमान खसरा नं 757 व 758 में स्थापित होना बताई जा रही है। जबकि प्रार्थीगण का राजस्व रेकार्ड में वर्तमान नं 760 दर्ज है।

11 यह कि साबिक खसरा नं 654 मिन काफी बडा नम्बर होने से बन्दोबस्त के दौरान उक्त त्रुटि नक्शा ट्रेस में हुइ है, जिसे प्रार्थीगण दुरुस्त करवाने के अधिकारी है।

12 यह कि उक्त सम्बंध में मौके की वास्तविक स्थिति तलब कर प्रार्थीगण के रेकार्ड व नक्शा में दुरुस्ती कर रेकार्ड में अमल किया जाना आवश्यक हैं।

13 यह कि विवादित स्थल ग्राम मोडक तहसील राममंजमंडी में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थनापत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

14 यह कि शेष निवेदन मौखिक बहस किये जावेगें।

अतः प्रार्थना है कि आवेदन प्रार्थीगण स्वीकार कर प्रार्थीगण के फैक्ट्रीयो की वास्तविक स्थिति के अनुसार खसरा नं 757 व 758 को दुरुस्त कर खसरा नं 760 में अंकित किया जावे तथा तदनुसार राजस्व व नक्शा ट्रेस में संशोधन किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिपक्षी नम्बर 1 से 3 की और से विद्वान अधिवक्ता श्री मुन्नालाल शुक्ला द्वारा वकालातनामा प्रस्तुत किया तथा कथन किये कि, रोहित तथा राजा दो पृथक–पृथक व्यक्ति नहीं है अपितु एक ही है जिसका नाम रोहित राजा है। इस पर विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष को सुना जाकर रोहित व राजा को रोहितराजा एक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया। राजा का नाम मूल प्रार्थना पत्र से हटाया गया।

खण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

Scanned by CamScanner

प्रतिपक्षी नम्बर 1 से 3 के द्वारा निम्न प्रकार जवाब प्रस्तुत किया गया।

1– यह कि आवेदन पत्र की मद न0–1 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार स्वीकार है।

2– यह कि आवेदन पत्र की मद न0–2 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार स्वीकार है।

3– यह कि आवेदन पत्र की मद न0–3 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार स्वीकार है।

4– यह कि आवेदन पत्र की मद न0–4 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार स्वीकार है।

5– यह कि आवेदन पत्र की मद न0–5 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार स्वीकार है।

6– यह कि आवेदन पत्र की मद न0–6 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार स्वीकार है। खसरा नम्बर 757 की रकबा 0.70 हैक्टर बारानी तृतीय अप्रार्थी कम–2 व 3 के नाम तथा खसरा नम्बर 758 की रकबा 0.70 हैक्टर बारानी तृतीय अप्रार्थी कम 1 के नाम पर दर्ज है।

7– यह कि आवेदन पत्र की मद न0–7 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार स्वीकार है।

8– यह कि आवेदन पत्र की मद न0–8 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार स्वीकार है।

9– यह कि आवेदन पत्र की मद न0–9 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार स्वीकार है।

10– यह कि आवेदन पत्र की मद न0–10 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार स्वीकार है।

11– यह कि आवेदन पत्र की मद न0–11 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार स्वीकार है।

12– यह कि आवेदन पत्र की मद न0–12 स्वीकार है।

13– यह कि आवेदन पत्र की मद न0–13 स्वीकार है।

14– यह कि आवेदन पत्र की मद न0–14 स्वीकार है।

प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार है।

अप्रार्थी कम 4 द्वारा बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया जिसमें बिन्दु संख्या 1 से 8 को स्वीकार किया तथा संक्षेप में निम्न कथन किये। मुताबिक मिलान क्षैत्रफल के वादी व प्रतिवादी दोनो के गत ख0नं0 654 ही है अर्थात हाल ख0नं0 757, 758 व 760 गत ख0नं0 664 से ही बने हैं। हाल खं0नं0 वादीगणों के नाम व हाल ख0नं0 757–758 प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज होनो स्वीकार है।रिर्पोट पटवारी हल्का दिनांक 15/1/2015 के अनुसार हाल ख0नं0 757–758 पर वादीगणों की फैक्ट्रीयॉ स्थित होना बताया गया

85

रखण्ड अ... रो·
रामगंजमंडी

है।बंदोबस्त से पूर्व के गत नक्शे में वादीगणों व प्रतिवादी गणों की तरमीम नहीं हो रही है। अतः तरमीमी साक्ष्य के अभाव में बंदोबस्त विभाग की त्रुटि माना जाना स्वीकार नहीं हैं। गत नक्शे में तरमीमी नही होने पर केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर दुरस्ती किया जाना स्वीकार नहीं है।

उक्त प्रकरण में वादीगण रुकमणी, सुरेश, प्रेमलता, नौरस, रामरतन के खाते की भूमि हाल ख0 नं 760 की 0.32 है0, 760 की 0.64 है0,760 की 0.18 है0 760 की 0.24 है0 तथा 757 की 0.52 है0 दर्ज रेकार्ड है। वादी व प्रतिवादी दोनों के हाल ख0नं0 654 से ही बने है गत नक्शे में कोई तरमीम नहीं है। दावे में वादी का कथन है कि बंदोबस्त विभाग में उनके ख0नं0 758–757 को प्रतिवादी गणों के नाम तथा प्रतिवादी गणों के खं0नं0 760 को हम वादीगणों के खाते दर्ज कर दी गई है वादी का रकबा 1.60है0 है तथा प्रतिवादीगणो का कल रकबा 132 है0 ही है। रिकार्ड में समानता नही होने से नक्शे में बने हुए खेतो का चित्रघटना बडाना पडेगा जिससे इनके मध्य में स्थित हाल ख0न0 759 भी प्रभावित होगा। इसके अलावा गत नक्शे में तरमीम नही होने से तरमीमी साक्ष्य के अभाव में मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर वाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सम्पूर्ण वाद अस्वीकार है।

प्रकरण में पक्षकारों द्वारा लोक अदालत दिनॉक 02.07.2015 में आपसी सहमति का राजीनामा प्रस्तुत किया तथा पक्षकारों को सुना जाकर पूर्व प्रकरण संख्या 07/2014 में निर्णय दिनॉक 02.07.2015 पारित किया जाकर प्रार्थना पत्र तकनीकि आधार पर खारिज कर दिया गया।

प्रकरण में इस न्यायालय के आदेश की अपील अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय कोटा में प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 116/2015/अपील/एलआरएक्ट/कोटा में निर्णय दिनॉक 07.09.2016 में निर्णय पारित किया जाकर प्रकरण सम्यक निर्देश सहित इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। प्रकरण इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः दर्ज किया गया तथा पक्षकारों को सुना गया। प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया जिसे पक्षकारान् की सहमति के उपरान्त स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षी नम्बर 5 को

खण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

Scanned by CamScanner

रिकार्ड पर लिय जाकर प्रतिपक्षी नम्बर 5 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिपक्षी नम्बर 5 द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को बाद सुनवाई निस्तारित किया जाकर पक्षकारों को सम्यक तथ्य व दस्तावेजात प्रस्तुत करने के अवसर दिय गये।

पक्षकारों द्वारा निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये।

1. नकल जमाबन्दी ग्राम मोड़क संवत 2054–57 खाता नम्बर 378
2. नकल जमाबन्दी ग्राम मोड़क संवत 2067–70 खाता नम्बर 426
3. नकल नक्शा हाल ग्राम मोड़क ख0न0 756 से 761 व 742
4. फर्द मिलान ग्राम मोड़क 2005–25
5. नकल जमाबन्दी ग्राम मोड़क संवत 2067–70 खाता नम्बर 454
6. नकल जमाबन्दी ग्राम मोड़क संवत 2067–70 खाता नम्बर 500
7. नकल जमाबन्दी ग्राम मोड़क संवत 2071–74 खाता नम्बर 514
8. नकल जमाबन्दी ग्राम मोड़क संवत 2071–74 खाता नम्बर 426
9. नकल जमाबन्दी ग्राम मोड़क संवत 2071–74 खाता नम्बर 339
10. नकल नक्शा हाल ग्राम मोड़क ख0न0 758
11. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम मोड़क संवत 2071–74 ख0न0 758
12. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम मोड़क संवत 2071–74 ख0न0 757
13. नकल नक्शा हाल ग्राम मोड़क ख0न0 757
14. नकल जमाबन्दी ग्राम मोड़क संवत 2071–74 खाता नम्बर 533
15. नकल नक्शा हाल ग्राम मोड़क ख0न0 760
16. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम मोड़क संवत 2071–74 ख0न0 760
17. नकल जमाबन्दी ग्राम मोड़क संवत 2071–74 खाता नम्बर 255
18. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम मोड़क संवत 2071–74 ख0न0 1802/760
19. नकल जमाबन्दी ग्राम मोड़क संवत 2071–74 खाता नम्बर 548
20. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम मोड़क संवत 2071–74 ख0न0 1955/760
21. नकल जमाबन्दी ग्राम मोड़क संवत 2071–74 खाता नम्बर 205

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

Scanned by CamScanner

22. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम मोड़क संवत 2071–74 ख0न0 1956/760

23. नकल जमाबन्दी ग्राम मोड़क संवत 2071–74 खाता नम्बर 643

24. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम मोड़क संवत 2071–74 ख0न0 1803/760

पक्षकारान् को अपना अपना साक्ष्यादि प्रस्तुत कराने का समुचित अवसर दिया गया। बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई। जहॉ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि उनके खाते में खसरा नम्बर 760 कुल रकबा 1.62 हैक्टर दर्ज है जबकि मोके पर वो खसरा नम्बर 757 व 758 पर काबिज है तथा वही पर उनकी फेक्ट्री लगी हुई है। खसरा नम्बर 758 व 757 प्रार्थीगण के खाते में अवश्य है किन्तु उस भूमि पर मोके पर अप्रार्थीगण काबिज चले आ रहै है। प्रार्थीगण की फैक्ट्री सेटलमेंन्ट से पूर्व से ही बनी हुई है जबकि सेटलमेट ने प्रार्थी के काबिज स्थान को ध्यान में नहीं देकर मनमर्जी से प्रार्थीगण की भूमियों को अन्य स्थान पर दर्शा दिया है जिस पर अप्रार्थीगण काबिज है। अतः सेटलमेन्ट से पूर्व के कब्जे के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि को अप्रार्थीगण की भूमि के स्थान पर तथा अप्राथीगण की भूमि को प्रार्थीगण की भूमि के स्थान पर दर्शाया जाना आवश्यक है। इस हेतु पक्षकारों के द्वारा पूर्व में ही राजीनामा प्रस्तुत किया जा चुका है। परन्तु सहवन से एक पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु पूर्व में प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया था जिसे माननीय अपीलेट कोर्ट के द्वारा पूर्व निर्णय को निरस्त कर पुनः समुचित सुनवाई हेतु सम्यक निर्देश सहित प्रकरण माननीय न्यायालय में रिमाण्ड किया गया है। अतः राजीनामें अनुसार प्रकरण का निस्तारण कर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के कब्जा अनुसार नक्शा व राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश प्रदान किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त करवा कर प्रार्थीगण को राहत प्रदान की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी कम 5 का कथन है कि अप्रार्थी कम 5 की अब मात्र 0.18 हैक्टर भूमि बकाया है जो खसरा नम्बर 758 के पश्चिम में स्थित है और अप्रार्थी कम 5 वहीं पर काबिज चला आ रहा है। अप्रार्थी कम 5 की 0.18 हैक्टर भूमि मोंके पर पड़त है। जो भूमि अप्रार्थी नम्बर 5 के खाते व नक्शे में दर्शाई गई है उस पर अप्रार्थी कम 1 ता 3 काबिज है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

Scanned by CamScanner

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी कम 1 ता 3 का कथन है कि पूर्व में पक्षकारों के मध्य लोक अदालत केम्प में राजीनामा हो गया था किन्तु माननीय न्यायालय ने प्रकरण को निरस्त कर दिया था। प्रकरण रिमाण्ड किया गया है। अप्रार्थीगण 1 ता 3 तथा प्रार्थीगण नक्शे अनुसार एक दूसरे की भूमि पर काबिज होना सही है। दुरूस्ती किया जाना माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विषय है।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथा वर्णित तथ्य , वॉच्छित अनुतोष , अप्रार्थीगण के जवाब तथा उभयपक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रकरण के संबंध में सम्यक विधिक विचार किया गया।

प्रकरण में एक तथ्य तय है कि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी नम्बर 5 खसरा नम्बर 757 व 758 की भूमि पर काबिज है जबकि उनके खाते में खसरा नम्बर 760 अंकित किया गया हैं तथा अप्रार्थी नम्बर 1 ता 3 के खाते में खसरा नम्बर 757 व 758 अंकित है जबकि वे खसरा नम्बर 760 वाले स्थान पर काबिज है , और सेटलमेंन्ट से पूर्व से ही उसी स्थान पर काबिज है । दरम्याने बन्दोबस्त , बन्दोबस्त महकमे ने जो काम किया है उसका नतीजा यह हुआ है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के नक्शे की जमीन पर तथा अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की जमीन पर दर्शा दिया गया है। उक्त त्रुटि को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

सेटलमेंन्ट के दोरान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के कब्जा स्थिति को त्रुटिपूर्ण प्रकिया के तहत परिवर्तन किया गया है जो अनुचित प्रतीत होता है।

ए0आई0आर0 1989 एस0सी0 1582 में उल्लेखित है कि,

The Statution Authority can not Travel beyond the Power conferred & any action without power has no legal validity . it is ab initio void & can not be ratified .

आर0वी0जे0(10) 2003 पेज 188 रूपनारायण बनाम कजोड़मल में माननीय न्यायालय ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं

Settlement Authorities have no power to delete the Original Entries and make new Entries-in the case during the the settlement Operation .

माननीय न्यायालयों के निर्णयों की रोषनी में हम प्रस्तुत प्रकरण को देखते है तो पाते है कि प्रार्थी0 तथा अप्रार्थीगण के खाते में दौराने भू0प्रबन्ध सैटलमेंन्ट विभाग द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

Scanned by CamScanner

त्रुटिपूर्ण अंकन किया जाकर पक्षकारान् को मौके की स्थिति से इतर जाकर कब्जा दर्शा दिया गया है तथा नक्शा भी मौके से विपरीत अंकित किया गया है, जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही था। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया उक्त कृत्य उचित नहीं ठहराया जा सकता।

भूप्रबन्ध विभाग के उक्त कृत्य को हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा प्रति० के जवाब के अनुसार उचित नही पाते है। प्रार्थी० को उक्त अंकन के परिणामस्वरूप किये गये त्रुटिपूर्ण अंकन को निरस्त करवा कर दुरूस्ती का अधिकारी पाया जाता है क्योंकि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया कार्य त्रुटिपूर्ण है और उक्त त्रुटिपूर्ण कार्य के परिणाम जिसके द्वारा प्रार्थी० को नक्शे में स्थान से परिवर्तित कर दिया गया है, को हम न्याय की दृष्टि मे भी त्रुटिपूर्ण पाते है।

प्रार्थी के द्वारा वांछित रिलीफ् को प्रार्थी द्वारा साक्ष्य से प्रमाणित किया है तथा प्रार्थी द्वारा वांछित रिलीफ् दिये जाने पर प्रतिपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में वर्णित तथा प्रभावित भूमि के हितबद्ध पक्षकार " करेक्शन ऑफ एन्ट्री " के अधिकारी प्रमाणित होते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम मोड़क के खसरा नम्बर 757 का रकबा 0.52 हैक्टर के स्थान पर 0.68 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 758 का रकबा 0.70 के स्थान पर 0.94 हैक्टर अंकित किया जावे। तथा खसरा नम्बर 760 का रकबा 1.62 के स्थान पर 1.22 अंकित किया जावै।

खसरा नम्बर 757 व 758 का कुल रकबा 1.62 हैक्टर में से सुरेश (प्रार्थी नम्बर 2) 0.24 हैक्टर , प्रेमलता (प्रार्थी नम्बर 3) 0.24 हैक्टर , रूक्मणी (प्रार्थी नम्बर 1) 0.64 हैक्टर , नौरस (प्रार्थी नम्बर 4) 0.32 हैक्टर तथा रामरतन (अप्रार्थी नम्बर 5) रकबा 0.18 हैक्टर दर्ज किया जावे। उक्त 1.62 हैक्टर में पूर्ववत् 0.18 हैक्टर भूमि अप्रार्थी नम्बर 5 के नाम बिना संपरिवर्तन की होगी तथा प्रार्थीगण के नाम बकाया 1.44 हैक्टर संपरिवर्तित भूमि होगी।

खसरा नम्बर 757 व 758 के पश्चिम दिशा की मेड़ को 0.40 हैक्टर तक और पश्चिम दिशा में हटाया जावे तथा खसरा नम्बर 760 की पूर्वी मेड़ जो खसरा नम्बर 759

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

Scanned by CamScanner

से लगी हुई है को 0.40 हैक्टर रकबे तक पश्चिम में हटाया जाकर नक्शा दुरूस्त किया जावे। खसरा नम्बर 759 के पूर्व व पश्चिम दिशा की वर्तमान मेड़ो को हटाया जाकर उनके स्थान पर नवीन मेड़ लाल स्याही से अंकित की जावे । इस दरम्यान यह ध्यान रखा जावे कि खसरा नम्बर 759 का नक्शा व रकबा वर्तमान व नवीन में कोई तब्दीली न हो।

तदुपरान्त पक्षकारान् के पृथक पृथक रकबे की तरमीम की जाकर नक्शे में हस्व जमाबन्दी रकबा दर्ज किया जावे। उक्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी भी पक्ष को मोके से बेदखल नहीं किया जा सकेगा। राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावै ।

पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की जावे तथा निर्णीत शुमार की जाकर बाद तामील तकमील व तरमीम दाखिल दफ्तर हो।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

निर्णय मैरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनॉक 17/04/2018 को विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया ।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner